



27/8/2019

पत्रावली जेश दुर्ग। वकील वादीगण उपर।
वकील वादीगण द्वारा उपस्थित होकर राजस्व
वाद आगे चलाना नहीं चाहते। अतः वकील
वादीगण द्वारा राजस्व वाद आगे नहीं चलाना
चाहते ऐसी स्थिति में वाद में आगे की कार्रवाई
इसी स्तर पर समाप्त की जाकर वाद खारिज
किया जाता है। पत्रावली फेलम शुभार होकर
दाखल हुआ होकर नबल से कद है।


सहायक कलक्टर
चौहटन

राजाय वाद
आगे चलाना
नहीं चाहेगा


(नरेश भाई)
(वकील)
27/8/19